ए एल बहरी जे. के समक्ष।

करनैल सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और न्य,-प्रतिवादी।

1984 की सिविल रिट याचिका संख्या 3237

7 मार्च 1989

भारत का संविधान, 1950- नुच्छेद 226-पंजाब पुलिस नियम, 1934-नियम 12.1, 13.3(2), 13.9 और 13.10- निवार्य सेवानिवृत्ति-याचिकाकर्ता को ए.एस.आई. के रूप में पुष्टि की गई। और डी.आई.जी. द्वारा एस.आई. के रूप में पदोन्नत किया गया-

एस.पी. निवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित करने में सक्षम नहीं - ए.सी.आर. में प्रतिकूल टिप्पणियाँ सूचित - प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध भ्यावेदन पर निर्णय से पहले निवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

माना गया कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक थे, न कि पुलिस धीक्षक। यह पदोन्नति का मामला है न कि प्रारंभिक नियुक्ति का, पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.1 के तहत पुलिस धीक्षक को सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी नहीं माना जा सकता है। (पैरा 5)

माना गया कि जहां धिकारियों द्वारा भ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। पत्र क्रमांक 36/28/81-5(1) दिनांक 16 गस्त 1983 में निहित निर्देशों के नुसार, प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध इस तरह के भ्यावेदन पर छह महीने के भीतर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को यह वसर नहीं दिया गया और इस प्रकार उसकी नसुनी निंदा की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए निवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता। (पैरा 10).

भारत के संविधान के नुच्छेद 226 और 227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि: -

(ए) सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट या कोई न्य उचित रिट निर्देश या नुलग्नक पी 3 और पी 4 को रद्द करने का आदेश और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में जारी रखने के लिए निर्देशित करने का निर्देश कृपया जारी किया जाए।

(बी) कृपया नुलग्नक पी4 के संचालन और याचिकाकर्ता के खिलाफ वैध विभागीय और न्य कार्रवाई पर रोक लगाने वाला एक ंतरिम आदेश पारित किया जाए।

(सी) प्रस्ताव की ग्रिम सूचनाओं की सेवा से कृपया छूट दी जाए।

(डी) कोई न्य आदेश जो न्यायसंगत और उचित समझा जाए, भी पारित किया जाएगा।

(ई) याचिकाकर्ता की लागत भी प्रदान की जाएगी।

याचिकाकर्ता की ओर से ☒ धिवक्ता आर्य मित्तल के साथ ☒ धिवक्ता रामेश्वर शर्मा।

प्रतिवादी की ओर से ए.जी. (हाई.) की ओर से ☒ धिवक्ता, रामेश्वर मलिक।

निर्णय

ए एल भारी, जे.

संविधान के ☒ नुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर इस याचिका में कमल सिंह पुलिस उपनिरीक्षक, करनाल ने पुलिस ☒ धीक्षक, करनाल द्वारा पारित आदेश ☒ नुलग्नक पी.4 को चुनौती दी है। नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन देकर उन्हें 16 मई 1984 से ☒ निवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

2. करनैल सिंह 1 ☒ क्टूबर, 1947 को पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए। 1 फरवरी, 1958 से उन्हें हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1966 में उन्हें हरियाणा राज्य में आवंटित किया गया। 15 ☒ प्रैल, 1974 से उन्हें सहायक पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें सूची 'ई' में लाया गया और 1 ☒ प्रैल, 1977 को सब इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। 1 फरवरी, 1980 से उन्हें सहायक उप निरीक्षक के रूप में पुष्टि की गई, - पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 फरवरी, 1983 ☒ नुलग्नक पी.एल. द्वारा। याचिकाकर्ता इंस्पेक्टर के रूप में ☒ पनी आगे पदोन्नति की उम्मीद कर रहा था क्योंकि उससे

केवल दो ☒न्य वरिष्ठ थे। 9 साल से ☒धिक सेवा में बनाए रखने के उनके मामले की सिफारिश पुलिस ☒धीक्षक और ☒ंततः पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की गई थी, - 20 ☒प्रैल, 1983 के ☒पने आदेश के तहत याचिकाकर्ता को 55 साल से ☒धिक सेवा में बने रहने की ☒नुमति दी गई थी। पुलिस ☒धीक्षक के माध्यम से संसूचित आदेश की प्रति संलग्नक पी-2 है। मई, 1983 से 31 मार्च, 1984 की ☒वधि के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा 1 मई, 1984 को कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ उन्हें सूचित की गईं। प्रतिलिपि ☒नुलग्नक पी.3। याचिकाकर्ता करनैल सिंह को इस रिपोर्ट में उल्लिखित खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया. याचिकाकर्ता ☒भी ☒पना ☒भ्यावेदन तैयार कर ही रहा था कि 16 मई 1984 को उसे सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश ☒नुलग्नक पी.4 प्राप्त हुआ। याचिका में यह दिखाने के लिए कुछ ☒न्य आरोप भी लगाए गए कि राजनीतिक कारणों से उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। उनकी ☒निवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के लिए मुख्य चुनौती यह है कि पुलिस ☒धीक्षक, प्रतिवादी नंबर 4 के पास उन्हें सेवानिवृत्त करने का कोई ☒धिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए जब याचिकाकर्ता को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा 55 वर्षों के बाद सेवा में जारी रखने की ☒नुमति दी गई थी। दूसरा आधार यह है कि पुलिस उप महानिरीक्षक ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करते समय और कुछ मामलों का उल्लेख करने के बाद याचिकाकर्ता को केवल कुछ दोषों को दूर करने का निर्देश दिया था। उसी के आधार पर पुलिस ☒धीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता को ☒निवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना उचित नहीं था।

3. आधिकारिक उत्तरदाताओं की ओर से पुलिस ⊠ धीक्षक द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था। याचिकाकर्ता के पिछले आचरण का उल्लेख किया गया है क्योंकि उसने ⊠ पनी सेवा के दौरान निंदा की तीन सजाएँ ⊠ र्जित की थीं। यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस ⊠ धीक्षक दंड देने वाला प्राधिकारी था और याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने में सक्षम था। कार्यालय में प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिकूल टिप्पणी निरस्त होने तक प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर याचिकाकर्ता को ⊠ निवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।

4. मैंने पक्षों के वकील सुने हैं। आक्षेपित आदेश पारित करने में पुलिस ⊠ धीक्षक की योग्यता के प्रश्न पर, उत्तरदाताओं का रुख सही प्रतीत नहीं होता है। उत्तरदाताओं का रुख यह है कि सहायक उप निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस ⊠ धीक्षक हैं, जैसा कि हरियाणा में लागू पंजाब पुलिस नियम के ⊠ ध्याय XII के नियम 12.4 के तहत प्रदान किया गया है। जैसा कि पुलिस नियमों के ⊠ ध्याय XVI के नियम 16.1 के तहत प्रदान किया गया है, पुलिस ⊠ धीक्षक उप-निरीक्षकों और सहायक उप-निरीक्षकों का दंड देने वाला प्राधिकारी भी है। इस प्रकार पुलिस ⊠ धीक्षक तीन महीने के नोटिस पर याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने में सक्षम थे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैंने पाया कि इस विवाद को वर्तमान मामले में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा सहायक उप निरीक्षक के साथ-साथ उप निरीक्षक के पद पर भी पदोन्नत किया गया था। इसमें

कोई संदेह नहीं है कि पुलिस ☒धीक्षक नियम 12.1 के तहत सहायक उप निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की नियुक्ति प्राधिकारी है, हालांकि, यह नियम ☒धिकारियों को नियुक्तियां करने के लिए सक्षम बनाता है। पुलिस नियमों में पदोन्नति से संबंधित एक ☒लग ☒ध्याय यानी ☒ध्याय XIII है। नियम 13.3(2) पुलिस उपमहानिरीक्षक को निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति करने का ☒धिकार देता है। यह जिला पुलिस के मामले में पुलिस ☒धीक्षक द्वारा किए जाने वाले उप निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के पद पर पर्याप्त पदोन्नति का भी प्रावधान करता है। नियम 13.4(2) जिले में पुलिस ☒धीक्षक द्वारा उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति का प्रावधान करता है और यदि पुलिस उप महानिरीक्षक पदोन्नति के प्रवाह को जिलों के बीच ☒समान रूप से वितरित पाता है, वह उपयुक्त स्थानान्तरण कर सकता है। मौजूदा मामले से संबंधित प्रासंगिक नियम नियम 13.9 और 13.10 हैं। यह पुलिस उप महानिरीक्षक को सहायक उप निरीक्षक के पद पर स्थानापन्न या वास्तविक पदोन्नति करने की शक्ति देता है। नियम 13.9 का उप-नियम (2) आगे नियम 13.4 के उप-नियम (2) के ☒नुसार पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा सहायक उप निरीक्षकों की मूल पदोन्नति करने का प्रावधान करता है। नियम 13.10 में उप-नियम 13.4(2) के तहत छोटी ☒वधि की स्थानापन्न पदोन्नति का भी प्रावधान है जो आम तौर पर संबंधित जिले के भीतर की जाती है। लेकिन लंबी ☒वधि की रिक्तियां उप महानिरीक्षक के विवेक पर रेंज में किसी भी योग्य व्यक्ति की पदोन्नति से भरी जानी हैं।

5. मौजूदा मामले का हवाला देते हुए, रिट याचिका के पैरा संख्या 4 में याचिकाकर्ता का रुख है कि उसे सहायक के रूप में पुष्टि की गई थी सब इंस्पेक्टर,—सवारी आदेश दिनांक 28 फरवरी 1983 ⊠ नुलग्नक पीएल 1 फरवरी 1980 से प्रभावी, लिखित बयान में खंडन नहीं किया गया था। ⊠ नुलग्नक पीएल से पता चलता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा 28 फरवरी, 1983 को पारित आदेश और पुलिस ⊠ धीक्षक, करनैल द्वारा सूचित किया गया था, जिसके तहत करनैल सिंह याचिकाकर्ता को 1 फरवरी, 1980 से पुष्टि की गई थी।इसके ⊠ लावा, यह पुलिस उप महानिरीक्षक थे, जिन्होंने 23 ⊠ प्रैल, 1983 को ⊠ नुबंध पी.2 पर आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बनाए रखने की ⊠ नुमति दी थी। याचिकाकर्ता को 'ई' सूची में लाया गया और उसे 1 ⊠ प्रैल 1977 को सब इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया जैसा कि याचिका के पैरा नंबर 4 में बताया गया है। लिखित बयान के संबंधित पैरा में इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को पुलिस ⊠ धीक्षक द्वारा सब इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता का मामला ⊠ सिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन का है. पुलिस उपमहानिरीक्षक के आदेश से उन्हें सहायक ⊠ वर निरीक्षक के पद पर स्थायीकृत किया गया. इस प्रकार, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक थे, न कि पुलिस ⊠ धीक्षक। यह पदोन्नति का मामला है न

कि प्रारंभिक नियुक्ति का, इस मामले में पुलिस ☒ धीक्षक को पुलिस नियमों के नियम 12.1 के तहत सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी नहीं माना जा सकता है।

6. दूसरे कोण से देखने पर भी यही निष्कर्ष निकल सकता है. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, यह पुलिस उपमहानिरीक्षक ही थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता को सहायक उपनिरीक्षक के रूप में पुष्टि की थी और इसके ☒ लावा उन्होंने ही याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु से ☒ धिक सेवा में बनाए रखने की ☒ नुमति दी थी, जबकि याचिकाकर्ता कार्यवाहक उपनिरीक्षक के रूप में काम कर रहा था। तर्क के तौर पर यह मानते हुए कि राज्य सरकार के जारी निर्देशों के ☒ नुसार इस आदेश की बाद में समीक्षा की जा सकती है, यह पुलिस उप महानिरीक्षक थे, जो ☒ पने आदेश की समीक्षा कर सकते थे, न कि उनके ☒ धीनस्थ पुलिस ☒ धीक्षक स्तर का कोई ☒ धिकारी .

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **रोशन लाई गोगिया बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और ☒ न्य[1],** में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है।उस मामले में वित्तीय आयुक्त नियुक्ति प्राधिकारी नहीं थे ^ वित्तीय आयुक्त ने तीन महीने के नोटिस पर 55 वर्ष से ☒ धिक की सेवा से सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया था। इस आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई थी और इसका संदर्भ देने के बाद इसे रोक दिया गया था। पंजाब सिविल सेवा नियम खंड I भाग I के नियम 3.26 और पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II के नियम 5.32 के ☒ नुसार ☒ निवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति

[1] **1968 सर्विसेज लॉ रिपोर्टर 650**

नियमों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है। नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी सेवानिवृत्ति का आदेश पारित नहीं कर सकता जब नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करने के लिए इच्छुक हो। इससे पहले इस मामले पर पूर्ण पीठ ने **प्रीतम सिंह बराड़ बनाम पंजाब राज्य**[2], में विचार किया था। जिसमें यह माना गया कि नियुक्ति प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बिना कोई कारण बताए नोटिस देकर सेवानिवृत्त करने की शक्ति है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित दो निर्णयों में बताया गया है, कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, पुलिस नियमावली के नियम 13.9 एवं 13.10 के संदर्भ में यह माना गया है यह पुलिस उपमहानिरीक्षक ही थे जो सहायक उपनिरीक्षक के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्राधिकारी थे जब उसकी पुष्टि की गई थी और साथ ही उपनिरीक्षक के पद पर जहां याचिकाकर्ता को पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, पुलिस ☒धीक्षक याचिकाकर्ता को ☒निवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थे, खासकर तब जब पुलिस उप महानिरीक्षक ने याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु से ☒धिक सेवा में बनाए रखने का आदेश पारित किया था।

8. मामले के गुण-दोष की बात करें तो यह देखा जा सकता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियां याचिकाकर्ता को ☒नुलग्नक आर 2 में निहित के ☒नुसार सूचित

[2] (1) 1967 एसएलआर 688।

की गई थीं। सब इंस्पेक्टर करनैल सिंह, वर्तमान याचिकाकर्ता को "इन प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में सूचित किया गया था और उन्हें उनमें उल्लिखित दोषों को दूर करने का निर्देश दिया गया था। ये टिप्पणियां 5 ☒ गस्त, 1982 से 31 मार्च, 1983 की ☒ वधि से संबंधित थीं। इन प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता ने एक ☒ भ्यावेदन, ☒ नुलग्नक पी. 5 दायर किया, जिसमें परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया और उसे हटाने का ☒ नुरोध किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन परिशिष्ट पी. 5 पर ☒ ब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 19 मई, 1983 से 31 मार्च, 1984 की ☒ वधि के लिए याचिकाकर्ता को प्रतिकूल टिप्पणियां सूचित की गईं, - पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा 1 मई, 1984 को पुलिस ☒ धीक्षक, करनाल को संबोधित पत्र के माध्यम से। याचिकाकर्ता को इन प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ ☒ भ्यावेदन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। 16 मई, 1984 को पुलिस ☒ धीक्षक, करनाल ने याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश संलग्नक पी. 4 पारित किया। लिखित बयान के पैरा 4 में पुलिस ☒ धीक्षक द्वारा लिया गया रुख यह है कि उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त करने का आदेश सही ढंग से पारित किया गया था। सरकारी निर्देशों, ☒ नुलग्नक आर. 1 का संदर्भ दिया गया है, 55 वर्ष से ☒ धिक सेवा में बनाए रखने की ☒ नुमति देने के आदेश पारित करने के बाद, कर्मचारी की संदिग्ध निष्ठा के आधार पर समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान मामले के तथ्यों में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। ☒ भ्यावेदन ☒ नुलग्नक पी.5 पर ☒ धिकारियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया और 1 मई 1984 को सूचित

प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। राज्य सरकार, हरियाणा के पत्र संख्या 36/28/81-एस (एल), दिनांक 16 ☒ गस्त, 1983 के निर्देशों के ☒ नुसार, प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ इस तरह के ☒ भ्यावेदन पर छह महीने के भीतर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को यह ☒ धिकार नहीं दिया गया और इस प्रकार उसकी ☒ नसुनी निंदा की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। ***बृज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य***[3], में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर आक्षेपित आदेश ☒ नुलग्नक पी. 4 को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया था: -

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भी किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है तो उसे सूचित किया जाना चाहिए। संचार का ☒ंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य कर्मचारी को ☒ पने काम और आचरण में सुधार करने और उन प्रविष्टियों के खिलाफ संबंधित प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का ☒ वसर प्रदान करना है। यदि ऐसा कोई ☒ भ्यावेदन किया जाता है तो यह जरूरी है कि प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की दृष्टि से ☒ भ्यावेदन पर विचार करना चाहिए कि प्रतिकूल प्रविष्टियों की सामग्री उचित है या नहीं। ☒ भ्यावेदन देना एक सरकारी कर्मचारी के लिए एक मूल्यवान ☒ धिकार है और यदि ☒ भ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता है, तो इसका उसके सेवा करियर पर ☒ सर पड़ना तय है, जैसा कि सरकारी सेवा में वेतन वृद्धि प्रदान करना है।

---

[3] **एआईआर 1987 एससी 948।**

पदोन्नति और ☒ंततः समय से पहले सेवानिवृत्ति सभी सेवा रिकॉर्ड की जांच पर निर्भर करते हैं। इसे आगे इस प्रकार रखा गया है:-"किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त करना ☒ न्यायपूर्ण और ☒ नुचित तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा, जिसके बारे में या तो उसे सूचित नहीं किया गया है या यदि सूचित किया गया है तो उन प्रविष्टियों के खिलाफ किए गए ☒ भ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता है और उनका निपटान नहीं किया जाता है। . ☒ पीलकर्ता ने वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध ☒ पना ☒ भ्यावेदन प्रस्तुत किया था और माना कि उन ☒ भ्यावेदनों पर विचार नहीं किया गया और उनका निपटारा नहीं किया गया और फिर भी उपयुक्त प्राधिकारी ने यह राय बनाने के लिए उन प्रविष्टियों पर विचार किया कि ☒ पीलकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में थी। इसलिए, हमारी राय है कि इस कारण से राज्य सरकार का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है।"

9. ऊपर दर्ज कारणों से, यह याचिका लागत सहित स्वीकार की जाती है। वकील शुल्क 500 रुपये। पुलिस ☒ धीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता को तीन महीने के नोटिस पर या तीन महीने का वेतन देने पर ☒ निवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त करने के आदेश परिशिष्ट पी. 3 को रद्द कर दिया गया है।

आर.एन.आर.

□ स्वीकरण : स्थानीय भाषा में □ नुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह □ पनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी □ न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का □ंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा